UPCH010004042026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP 1521

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–167/2026

लकी उर्फ मु0 शहनबाज शाह उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र नुरूलहुदा शाह निवासी 116/926 रोशन नगर, थाना रावतपुर, जनपद कानपुर देहात।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

.....विपक्षी/अभियोजक।

अन्तर्गत धारा–3/5/8 गौ वध निवारण अधि0
थाना–राजापुर।
जनपद–चित्रकूट।
अपराध सं0–88/2025

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

06.03.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **लकी उर्फ मु0 शहनबाज शाह** पुत्र नुरूलहुदा शाह निवासी 116/926 रोशन नगर, थाना रावतपुर, जनपद कानपुर देहात की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–88/2025, अन्तर्गत धारा–3/5/8 गौ वध निवारण अधिनियम, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में यह उल्लिखित किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का सत्र न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। मान्नीय उच्च न्यायालय में उसका कोई जमानत प्रार्थना–पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र मान्नीय सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2026 के अनुपालन में अन्तरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद निषाद, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, चित्रकूट एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.04.2025

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2026.03.06 16:26:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर सरधुवा रोड़ पर राम वन गमन मार्ग के पास आकर चेकिंग की जाने लगी, तभी एक कार डिजायर सरधुवा की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे देखकर मुखबिरखास द्वारा इशारा करके बताया गया और जैसे ही डिजायर कार पुलिस वालो के कुछ नजदीक आकर पुलिस वालो को चेकिंग करते हुये देखकर अपनी गाड़ी मोड़कर राम वन गमन मार्ग के कच्ची सर्विस लेन पर बेराउर वांगर गांव की तरफ भागने लगा कि पुलिस बल द्वारा उक्त कार का सरकारी बोलेरो वाहन से व कुछ लोगों द्वारा पैदल, कुछ लोगों द्वारा मोटरसाईकिल से पीछा कर घेराबन्दी किया गया तो उक्त कार बेराउर वांगर गॉव के पास राम वन गमन मार्ग निर्माण के लिए मिट्टी निकालकर गढ्ढा किया गया था, उसी गढ्ढे में जाकर फंस गयी, तब पुलिस बल द्वारा कार को घेर लिया गया और जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी के नजदीक पहुॅचे, तो गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति निकलकर भागने लगे, जिनका पीछा किया गया, तो नहीं मिले तथा अंधेरे का लाभ लेकर भाग गये तथा काफी तलाश के बाद भी नहीं मिले। गाड़ी को आगे–पीछे से देखा गया, तो गाड़ी पर आगे, पीछे नम्बर प्लेट नहीं लगा है तथा डिजायर गाडी के दाहिने तरफ पिछले गेट के पास दरवाजे का शीशा टूटा है। गाड़ी का गेट खोलकर चेक किया गया, तो गाड़ी की पिछले गेट के खाली जगह में 04 बोरी व गाडत्री के डिग्गी में दो बोरी गौमांश बरामद हुआ, बोरियों पर खून लगा है तथा पिछले गेट के पीछे गाडत्री का दोनों नम्बर प्लेट रखा है, जिसपर नम्बर यू0पी0 78के एन 0543 अंकित है, जिसे इलेक्ट्रानिक चालान ऐप पर देखा गया, तो गाड़ी के मालिक का नाम शीला पत्नी रामाशंकर सोनकर निवासी P 156 आवास विकास केशवपुरम कल्याणपुर पश्चिम, थाना रावतपुरा, जिला कानपुर नगर 208017 अंकित है। गाड़ी से बरामद 06 बोरी गौमांश को तौल इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर बोरी सहित तौल किया गया, तो बरामद कुल गौमांश 03 कुन्तल 15 किलोग्राम पाया गया। बरामद गौमांश व गाड़ी को समय 22:15 बजे कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर एक रिपोर्ट तैयार कर पशु चिकित्साधिकारी को सूचना दिया गया, जिसपर कुछ ही देर में पशु चिकित्साधिकारी डा0 संजय सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर आ गये तथा डाक्टर द्वारा सभी 06 बोरियों में से थोड़ा–थोड़ा मांश का टुकड़ा निकालकर 03 शीशीयों में 06 सैम्पल लेकर सील सर्वमुहर किया गया तथा शेष गौमांश को वहीं मौके पर जे0सी0बी0 मशीन मॅगाकर गढ्ढा कराकर गाड दिया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में उप निरीक्षक इमरान खान से बोल–बोलकर लिखाया

गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उक्त मुकदमें में बिल्कुल निर्दोष है। उसका इस मुकदमें से कोई वास्ता सरोकार नहीं है और न ही प्रार्थी के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। सह अभियुक्त शुभम रैकवार के बयानों के आधार पर प्रार्थी को झूंठा व फर्जी तरीके से फंसाया गया है और कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वह दिनांक 10.10.2025 से जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध है। वह अत्यन्त गरीब व असहाय व्यक्ति है तथा जिसका कोई पैरोकार नहीं है और न ही प्राईवेट अधिवक्ता हैं। प्रार्थी के मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकारण, चित्रकूट के द्वारा जी जा रही है। उक्त तथ्यों पर प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में जिस वाहन संख्या यू0पी0 78 के एन 0543 से 03 कुन्तल 15 किलोग्राम गौमांश बरामद किया गया है और यह वाहन सह अभियुक्त शुभम सोनकर की मॉ शीला सोनकर के नाम पंजीकृत है तथा जिसकी देखरेख व संचालन किया जाना स्वयं सह अभियुक्त शुभम सोनकर ने स्वीकार किया है। इस अपराध को कारित किये जाने में अभियुक्त शुभम सोनकर के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता रही है। अभियुक्त शुभम सोनकर की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्ष के तर्को के प्रकाश एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि वादी मुकदमा की फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाना राजापुर, चित्रकूट में वाहन पंजीयन संख्या यू0पी0 78 के एन 0543 की स्वामी शीला (प्रार्थी/अभियुक्त की माँ) व दो व्यक्ति नाम–पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। कथित बरामद मारूती डिजायर कार पंजीयन संख्या यू0पी0 78 के एन 0543 के अन्दर रखी 06 बोरी में कुल 03 कुन्तल 15 किलोग्राम गौमांश बरामद होना बताया गया है। प्रश्नगत वाहन की स्वामी इस प्रकरण के अन्य अभियुक्त शुभम सोनकर की माँ शीला को होना कहा गया तथा घटना के समय इस वाहन की देखरेख व संचालन अभियुक्त शुभम सोनकर के द्वारा किया जाना कहा गया है। प्रकरण में दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आना बताया गया है। कथित प्रश्नगत वाहन के अन्दर रखी 06 बोरी में कुल 03 कुन्तल 15 किलोग्राम गौमांश बरामद होना

कहा गया है। इस अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पाते हुये विवेचक द्वारा उसके विरूद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियुक्त शुभम सोनकर की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2025 को निरस्त की जा चुकी है। अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है तथा इस अपराध को कारित किये जाने में प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है एवं उसके द्वारा जमानत पर छूटने के बाद किसी प्रकार का अपराध कारित न किये जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **लकी उर्फ मु0 शहनबाज शाह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 88/2025, अन्तर्गत धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधिनियम, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521